रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26—अक्तूबर 2, 2009 (आश्विन 4, 1931)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26—OCTOBER 2, 2009 (ASVINA 4, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2009

सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश 27/सीएमडी/2009--राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 जारी किये हैं।

अतः अब, राष्ट्रीय आवास बैंक सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते एवं संतुष्ट होते हुए कि देश में आवास वित्त प्रणाली को उसके लाभार्थ नियमित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराओं 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001, तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार पुनः संशोधित किये जाते हैं, यथा-

1. भाग घ में, अनुसूची II में

(i) III (ई)(ii) में दिये मद विवरण, मद कोड और जोखिम भार के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

1—259 GI/2009

(ई)(ii-ए) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु तक संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जहां एलटीवी अनुपात = या < 75% है।	237(बी)(i)		50	
(ई)(ii-बी) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु से अधिक संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जहां एलटीवी अनुपात है = या < 75% है।	237(बी)(ii)		75	
(ई)(ii-सी) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर संस्तुत आवास ऋण राशि कुछ भी हो, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जहां एलटीवी अनुपात है > 75% है।	237(बी)(iii)		100	

(ii) III (जे) में दिये मद विवरण, मद कोड और जोखिम भार के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

(जे)वाणिज्यिक भू सम्पदा में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित निवेश (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि")	246		100	

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 4th September 2009

No. NHB.HFC.DIR.27/CMD/2009—

Whereas, having considered it necessary in the public interest, the National Housing Bank had issued Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 in exercise of the powers conferred on it under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

And Whereas the said Directions have been amended further by Direction No. NHB.HFC. DIR.24/ CMD/2008 dated December 02, 2008 and Direction No. NHB.HFC.DIR.25/CMD/2008 dated December 02, 2008 whereby changes were made with regard to categorisation of housing loans, the extent of risk weights to be assigned after such categorisastion as also risk weights to be assigned to fund based and non fund based exposures to commercial real estates necessitating corresponding changes in half yearly return specified under paragraph 39 of the Directions;

Now therefore, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary to do so, hereby in exercise of the powers conferred by section 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies Directions, 2001, shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely:

1.In Schedule II, in Part D

(i) For item description, item code and risk weight given in III (e)(ii), the following shall be substituted, namely:-

(e)(ii-a) Housing loans sanctioned to individuals up to Rs. 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is = or < 75%	237(b)(i)		50	
(e) (ii-b) Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is = or < 75%	237(b)(ii)		75	
(e) (ii-c) Housing loans sanctioned to individuals, irrespective of the amount, secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets, where LTV Ratio is > 75%	237(b)(iii)		100	

(ii) For item description, item code and risk weight given in III (j), the following shall be substituted, namely:-

((j) Fund based and non-fund based exposures to commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.	246		100	

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director